संख्या-666 /2024/ 734 पी/24-27-सिं0-4/002-89(डब्ल्यू)परि0/2023 फ.क.नं-1709475

प्रेषक,

अमित प्रणव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक:** 29 **नवम्बर, 2024**

विषय: जनपद बिजनौर में पूर्वीगंगा नहर निर्माण खण्ड-6 नजीबाबाद के अन्तर्गत नगीना शाखा के सेवा मार्ग पर 3.150 किमी0 की लम्बाई में नगीना बढ़ापुर मार्ग से नगीना अफजलगढ़ मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1449/1011/परियोजना/कैम्प/बजट, दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 एवं शासनादेश संख्या-187/2024/189/24-27-सिं0-4/002-89-W-Pari-2023-फ.क.नं-1709475 दिनांक 28.03.2024 द्वारा निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक अनुमान में अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के लेखाशीर्षक 4700-97-051-10-14-24 के अन्तर्गत राज्य वित्त पोषित चालू सिंचाई परियोजना हेतु एकमुश्त व्यवस्था धनराशि रू0 5000.00 लाख में से प्रस्तावित धनराशि रू0 15.00 लाख (रुपये पन्द्रह लाख मात्र) परियोजना के अवशेष कार्यों पर व्यय हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. उक्त परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों पर नियमानुसार सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त सन्दर्भगत शासनादेश द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु निर्गत की गयी प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लिखित प्रतिबन्ध एवं शर्ते यथावत रहेंगे।
2. प्रश्नगत परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता एवं ससमय पूर्ण कराया जाना मुख्य अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **15,00,000 (** रुपये पन्द्रह लाख मात्र **)** को चालू वित्तीय वर्ष **2024-25** के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या **094** लेखा शीर्षक **4700970511014** सम्बद्ध कार्य मानक मद **24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - **1** के कार्यालय ज्ञाप संख्या - **1/2024/**बी-**1-294/**दस-**2024-231/2024,** दिनाँक- **04-**मार्च**, 2024** में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अमित प्रणव
संयुक्त सचिव ।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-666/2024/ 734 पी (I)/24-27-सिं0-4/002-89(डब्ल्यू)परि0/2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

3- प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,मुरादाबाद ।

7- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

8- मुख्य कोषाधिकारी, बिजनौर।

9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8

10- नियोजन अनुभाग-3

11- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9

12- अनु सचिव (लेखा), नोडल, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, शासन।

13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
वी0एन0 तिवारी
उप सचिव ।

https://shasanadesh.up.gov.in